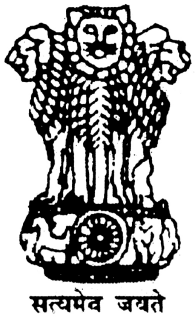

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 256 राँची, सोमवार, 18 वैशाख, 1938 (श०)

8 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

27 मार्च, 2017

कृपया पढ़े:-

1. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) का पत्रांक-3125, दिनांक 21 मार्च, 2007
2. जिला समाहर्त्ता, किशनगंज का पत्रांक-114/जि०रा०, दिनांक 22 जनवरी, 2014
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं०-6428, दिनांक 15 अक्टूबर, 2011, संकल्प सं०-8263, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 एवं संकल्प सं०-3766, दिनांक 25 जुलाई, 2014 तथा पत्रांक-8786, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-622, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-493/2014 का.- 4005-- श्रीमती पूनम कुमारी झा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 585/03, गृह जिला- सहरसा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज (किशनगंज), बिहार, सम्प्रति-अपर समाहर्त्ता, नक्सल, राँची के विरूद्ध कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) के पत्रांक-3125, दिनांक 21 मार्च, 2007 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है । श्री झा के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में निम्न आरोप प्रतिवेदित है:-

आरोप सं०-1- अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज के पद पर रहते हुए अभिलेख खोलकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-1697/रा०, दिनांक 22 नवम्बर, 1995 को आधार मानकर चाय की खेती के लिए 08 (आठ) आवेदकों के साथ सरकारी भूमि की अस्थायी लीज बन्दोबस्ती के लिए आपने अनुशंसा की है, जिसके लिए आप सक्षम नहीं थीं । आपका यह कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के दिशा-निर्देश के प्रतिकूल है ।

आरोप सं०-2- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०- 1697/रा०, दिनांक 22 नवम्बर, 1995 के आलोक में औधोगिक इकाई की स्थापना के लिए सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर पाँच एकड़ भूमि आवंटित किया गया था । आपने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार के इस परिपत्र का गलत व्याख्या कर चाय के खेती के लिए लीज बन्दोबस्ती की अनुशंसा की है, जो नियम विरूद्ध है ।

आरोप सं०-3- किशनगंज जिला के ठाकुरगंज एवं पोठिया अंचल में चाय की खेती के लिए आपके द्वारा गैर मजरूआ आम जमीन की भी लीज अनुशंसा की गई है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-576/रा0, दिनांक 8 अप्रैल, 1999 के प्रावधानों के प्रतिकूल है । गैर मजरूआ आम जमीन की प्रकृति बदल जाने पर भी बन्दोबस्ती का अधिकार सरकार में निहित है ।

आरोप सं०-4- एक ही सम्पन्न परिवार के कई व्यक्तियों के साथ आपके द्वारा सरकारी भूमि की लीज बन्दोबस्ती की अनुशंसा की गई, जो सरकारी निदेशों एवं नियमों के प्रतिकूल है एवं यह बन्दोबस्ती निहित स्वार्थवश किया गया प्रतीत होता है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-6428, दिनांक 15 अक्टूबर, 2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री सतेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०, तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त, द०छो० प्रमंडल, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । पुनः विभागीय संकल्प सं०-8263, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष के आलोक में तथा जिला समाहर्त्ता, किशनगंज के पत्रांक-114/जि०रा०, दिनांक 22 जनवरी, 2014 द्वारा श्रीमती झा के विरूद्ध आरोपों से संबंधित साक्ष्य एवं अभिलेख प्राप्त होने पर इनके विरूद्ध पुनः विभागीय संकल्प सं०-3766, दिनांक

25 अप्रैल, 2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

3. श्री सिन्हा के पत्रांक-622, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 द्वारा जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है । विभागीय कार्यवाही के दौरान श्रीमती द्वारा समर्पित बचाव बयान निम्नवत् है:-

आरोप सं०-1 पर बचाव बयान- श्रीमती झा का कहना है कि वर्ष 1995 की नयी औद्योगिक नीति में चाय की खेती को उद्योग का दर्जा दिया गया था एवं उसे "Thrust Industries for priority development in the State" की सूची में रखा गया था । औद्योगिक नीति, 1995 में उल्लेख किया गया है कि उद्यमियों को सरकारी भूमि आवंटित करने की लम्बी प्रक्रिया को कम करने के उद्देश्य से उद्योग लगाने हेतु पाँच एकड़ तक की सरकारी भूमि के लीज आवंटन की शक्ति समाहर्त्ता को होगी ।

उक्त औद्योगिक नीति के आलोक में कार्य सम्पादन हेतु बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पत्र संख्या-1697/रा०, दिनांक 22 नवम्बर, 1995 निर्गत किया गया था एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त को निदेशित किया गया था । उक्त पत्र के द्वारा पाँच एकड़ तक की भूमि के लिए लीज बन्दोबस्त करने की शक्ति समाहर्त्ता को प्रदत्त की गई थी तथा इसी पत्र के आलोक में समाहर्त्ता के द्वारा लीज बन्दोबस्ती हेतु निर्णय लिया गया था ।

नयी औद्योगिक नीति, 1995 एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में चाय उद्योग में रूचि रखने वाले उद्यमियों के द्वारा पाँच एकड़ तक की जमीन की अस्थायी लीज बन्दोबस्ती हेतु समाहर्त्ता, किशनगंज के पास आवेदन दिया गया था । तदोपरान्त, जिला राजस्व कार्यालय से उक्त आवेदन को अंचलाधिकारी, ठाकुरगंज के पास प्रस्ताव देने हेतु प्रेषित किया गया था ।

इन आवेदनों एवं निदेशों के आलोक में श्रीमती झा के द्वारा संबंधित भूमि की जाँच अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन द्वारा करवाई गई एवं स्वयं भी भूमि की स्थलीय जाँच की गई । जाँचोपरान्त, सारी स्थिति का वर्णन अभिलेख में करते हुए लीज बन्दोबस्ती का प्रस्ताव संचिका में उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, किशनगंज को सरकारी निदेशानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा के साथ भेजा गया था । ये संचिकाएँ अनुमंडल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता के माध्यम से क्रमशः उनके मंतव्यों के साथ समाहर्त्ता के पास उपस्थापित की गई थी । अंततः समाहर्त्ता, किशनगंज के द्वारा नयी औद्योगिक नीति, 1995 एवं इसके आलोक में राजस्व विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-1697/रा०, दिनांक 22 नवम्बर, 1995 में उल्लेखित शर्तों को निर्देशित करते हुए भूमि के लीज बन्दोबस्ती हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत की गई थी ।

प्रस्ताव भेजने में श्रीमती झा द्वारा अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज के रूप में अपने कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन मात्र किया गया था और ऐसा नहीं करना अनुशासनहीनता ही कहलाता । इनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके लिए वे सक्षम नहीं थीं और जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल था ।

औद्योगिक नीति के अध्यन से पता चलता है कि उसकी धारा-7.2 एवं 7.3 के आलोक में ही राजस्व विभाग का पत्र निर्गत हुआ है । स्वभाविक है कि धारा- 7.1, 7.2 एवं 7.3 एक क्रम में है किन्तु धारा-7.1 का विषय धारा-7.2 के विषय से भिन्न है । राजस्व विभाग के पत्र में धारा-7.2 एवं 7.3 के विषय को ही उल्लेखित किया गया है । धारा-7.2 में कहा गया है कि- "Besides availing of infrastructure facilities in industrial area and growth centres, and entrepreneurs can also site his plant by purchasing land or through allotment of government land." स्पष्ट है कि सिर्फ पूर्व से स्थापित इकई के विस्तारीकरण के लिए ही नहीं बल्कि नई इकाई लगाने हेतु भी उद्यमी स्थल का चयन कर उपलब्धता के अनुसार सरकारी भूमि का आवंटन प्राप्त करेगें । इसलिए सरकारी भूमि सिर्फ वैसे चाय के उद्यमियों को ही उपलब्ध नहीं कराना था, जिन्हें स्थापित उद्योग के विस्तारीकरण के लिए भूमि की आवश्यकता थी ।

उल्लेखनीय है कि जो उद्यमी चाय की खेती पूर्व से कर रहे थे और वहाँ सटे हुए गैर मजरूआ/आम भूमि थी, उसी के लिए लीज बन्दोबस्ती की अनुशंसा की गई थी । औद्योगिक नीति की धारा-15 में Thrust industries की सूची है, जिसे लगवाने हेतु भूमि आवंटन पर विचार करना था । उक्त सूची में चाय उद्योग (Tea plantation, Processing and Packaging) को भी रखा गया है । चाय की खेती होने पर ही उसकी पत्ती प्राप्त कर Processing and packaging की जा सकती है । Tea plantation चाय उद्योग का अनिवार्य अंग है, इसलिए चाय की खेती (Tea plantation) के लिए सरकारी भूमि के आवंटन की अनुशंसा राजस्व विभाग के प्रासंगिक पत्र के आदेश के अनुपालन में किया गया है ।

आरोप सं०-2 पर बचाव बयान- श्रीमती झा का कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 1697/रा०, दिनांक 22 नवम्बर, 1995 के द्वारा शक्ति समाहर्त्ता को दी गई थी और स्वभाविक है कि उसकी व्याख्या भी समाहर्त्ता के स्तर पर ही की गई थी । इसमें आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपने स्तर से कोई व्याख्या नहीं की गई थी । अंचल अधिकारी के रूप में आरोपी पदाधिकारी की कोई भूमिका नहीं हो सकती है । उनके द्वारा तो सिर्फ जिला स्तर से प्राप्त निदेश का अनुपालन ही किया गया था, जो किसी प्रकार के नियम विरूद्ध नहीं कहा जा सकता है ।

व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने की बात बिल्कुल मनगढ़ंत एवं निराधार है । कहीं से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई हित-अहित अथवा पक्षपात की शिकायत नहीं की गई थी । जिला

राजस्व कार्यालय से प्रेषित कुल 8 (आठ) आवेदन अंचल कार्यालय में प्राप्त हुए थे । सभी का सभी प्रकार से जाँच करके और सभी बातों को अभिलेख में उल्लेखित करते हुए उसे आरोपी पदाधिकारी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भेजा गया था । ऐसा नहीं कि किसी का भेजा गया और किसी का नहीं भेजा गया था । जो भी आवेदन प्राप्त हुआ सभी के संबंध में पूरी तरह जाँच कराते हुए और अभिलेख में उल्लेखित करते हुए उपर के पदाधिकारी को भेजा गया था ।

श्रीमती झा का यह भी कहना है कि इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान पर उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा कोई मंतव्य नहीं दिया गया है, इसलिए इनके स्पष्टीकरण को उनके द्वारा स्वीकार किया गया है । अतः आरोप पूर्णतया बेबुनियाद है ।

आरोप सं०-3 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि चाय के बगान के बीच में आम जमीन पड़ने के कारण आवेदकों के द्वारा आम जमीन के आवंटन के लिए भी आवेदन दिया गया था । गैर मजरूआ आम जमीन की लीज बन्दोबस्ती से संबंधित आवेदन प्राप्त होने पर निदेशानुसार आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रस्ताव समाहर्त्ता, किशनगंज को भेजा गया था । यदि स्वीकृति सरकार के स्तर से ही होनी थी, तो जिला स्तर से उसे सरकार को भेजा जाना था, इसमें आरोपी पदाधिकारी की ओर से कोई भूल नहीं की गई थी ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं०-1697/रा०, दिनांक 22 नवम्बर, 1995 में यह विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है कि केवल गैर मजरूआ खास भूमि का ही लीज आवंटन होगा । उक्त पत्र में सरकारी भूमि के आवंटन की बात लिखी हुई है ।

श्रीमती झा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं०-1697/रा०, दिनांक 22 नवम्बर, 1995 के तहत् समाहर्त्ता को शक्ति प्रदत्त थी । इसमें केवल सरकारी भूमि का उल्लेख है, गैर मजरूआ आम या खास का कोई वर्गीकरण नहीं है । दोनों प्रकार की भूमि सरकारी भूमि के तहत आता है, इसलिए सुयोग्य आम जमीन की भी अस्थायी लीज बन्दोबस्ती करने का निर्णय समाहर्त्ता, किशनगंज के द्वारा लिया गया था । यह भी उल्लेखनीय है कि आम जमीन का स्वरूप परिवर्तित हो जाने और आम उपयोग में नहीं रहने पर उसकी भी बन्दोबस्ती का प्रावधान था । यह बात सही है कि पत्रांक-1697/रा०, दिनांक 22 नवम्बर, 1995 के निर्गत होने के पूर्व तक आम जमीन की बन्दोबस्ती का प्रस्ताव जिला स्तर से सरकार को भेजा जाता था ।

श्रीमती झा का कहना है कि समाहर्त्ता को अंतिम स्वीकृति देनी थी, अथवा सरकार को अनुशंसा भेजनी थी, दोनों स्थितियों में आरोपी पदाधिकारी (अंचल अधिकारी) को तो जाँच करके और सभी संदर्भित तथ्यों को अभिलेख में उल्लेख करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पास भेजना था,

जो उनके द्वारा किया गया था । इन्होंने कोई गलती नहीं की थी बल्कि अपने दायित्वों का निर्वहन मात्र किया था ।

श्रीमती द्वारा के द्वारा किसी भी एक उद्यमी को पाँच एकड़ से अधिक भूमि के आवंटन के लिए किसी अभिलेख में अनुशंसा नहीं की गई है । संभव है एक उद्यमी दूसरे उद्यमी से किसी रूप में संबंधित हों, किन्तु वे सभी स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में काम कर रहे थे एवं उन सब का अपना अलग-अलग व्यवसाय था । सभी का आवेदन भी अलग-अलग समाहर्त्ता कार्यालय से अंचल अधिकारी के कार्यालय में भेजा गया था ।

आरोपी पदाधिकारी का यह भी कहना है कि आरोप का आधार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार का पत्रांक-576/रा०, दिनांक 8 अप्रैल, 1999 को बनाया गया है, जो आरोपी पदाधिकारी के ठाकुरगंज के कार्यकाल के बाद का पत्र है । इनका स्थानांतरण ठाकुरगंज से दिनांक 24 जुलाई, 1998 को ही हो गया था । इसलिए इस पत्र के निदेशों के प्रतिकूल कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता । वे पोठिया अंचल में भी पदस्थापित नहीं थी, इसलिए इस अंचल से संबंधित किसी अनियमित कार्यवाही के लिए वे उत्तरदायी नहीं हो सकती ।

आरोप सं०-4 पर बचाव बयान- श्रीमती झा का कहना है कि सभी आवेदक अलग-अलग परिवार के थे । उनके द्वारा जिन आठ अभिलेखों में कुल 26 एकड़ 19 डिसमिल भूमि का आठ अलग-अलग जमीनों के संबंध में प्रस्ताव भेजे गये थे, उन सबका अपना अलग-अलग परिवार एवं कारोबार था । वे सभी अलग-अलग चाय की खेती कर रहे थे और अपने- अपने रैयती भूमि से सटे हुए सरकारी भूमि की लीज बन्दोबस्ती के तहत् चाय की खेती हेतु अलग-अलग आवेदन समाहर्त्ता के पास दिये थे । इस प्रकार, जो भी आवेदन जिला कार्यालय के माध्यम से अंचलाधिकारी के रूप में आरोपी पदाधिकारी के पास आये थे, उन सब पर विस्तृत जाँच करके इनके द्वारा प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज के पास भेजा गया था । इनके द्वारा किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया था ।

जहाँ तक सम्पन्न आवेदक के साथ लीज बन्दोबस्ती की अनुशंसा करने का प्रश्न है, इस संबंध में इनका कहना है कि लीज आवंटन के पूर्व आवेदक की सम्पन्नता या विपनता नहीं देखी जाती है बल्कि मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि उक्त उद्योग लगाने हेतु आवेदक सक्षम है या नहीं । इस बिन्दु पर इनके द्वारा पूर्ण विचार किया गया था ।

इस प्रकार, लीज बन्दोबस्ती की अनुशंसा में श्रीमती झा के द्वारा सरकारी निदेशों एवं नियमों के अनुकूल कार्य किया गया था । इसमें किसी प्रकार का निहित स्वार्थ नहीं था बल्कि बिहार

राज्य में चाय उद्योग के विस्तार हेतु सरकार की महत्वाकांक्षी नीति एवं निर्णय को अंजाम देने की नियत से समाहर्त्ता के निदेशानुसार कार्य किया गया था । इसलिए आरोप निराधार एवं तथ्यहीन है । प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के किशनगंज जिला के चाय की खेती हेतु उपयुक्त भूमि से सटे पश्चिम बंगाल की बड़े चाय बगान के मालिकों के द्वारा प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करने के लिए यह सब करवाया गया है ।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती झा के विरूद्ध आरोप संख्या-1, 2, 3 एवं 4 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

श्रीमती झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत, प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(VI) के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित है । उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-8786, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 द्वारा श्रीमती झा से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-485, दिनांक 3 नवम्बर, 2016 एवं पत्रांक-541(ii)/न०, दिनांक 1 दिसम्बर, 2012 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया:-

“इनका कहना है कि प्रसंगाधीन मामले में जिले से समाहर्त्ता महोदय से प्राप्त आदेश के आलोक में इनके द्वारा लीज बन्दोबस्ती का प्रस्ताव अभिलेख में सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए भेजा गया था। इनके द्वारा न तो कोई नीतिगत निर्णय लेने का कार्य किया गया था न ही उद्यमियों से आवेदन प्राप्त किया गया था और न ही स्वीकृति देने का कार्य किया गया था।

नई औद्योगिक नीति, 1995 के त्वरित क्रियान्वयन हेतु बिहार सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा सभी जिले के समाहर्त्ता को 5 एकड़ तक की सरकारी भूमि औद्योगिक कार्य हेतु इच्छुक उद्यमियों को लीज पर देने की शक्ति प्रदान की गयी थी। सरकार के उक्त आदेश के आलोक में किशनगंज जिला में चाय उद्योग में लगे हुए कतिपय उद्यमियों के द्वारा सरकारी भूमि की लीज हेतु समाहर्त्ता, किशनगंज को आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदनों पर कार्रवाई हेतु जिला स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया गया था और तद्नुसार अंचल अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने हेतु निदेशित किया गया था। अंचल अधिकारी के रूप में इनके द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन किया गया था और प्राप्त सभी आठ आवेदनों पर राजस्व कर्मचारी, अमीन, अंचल निरीक्षक से विस्तृत जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर स्वयं इनके द्वारा भी स्थल एवं अन्य जाँच करते हुए एवं अभिलेख में उल्लेख करते हुए

अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज को भेजा गया था। स्वीकृति का कार्य जिला स्तर पर हुआ था।"

श्रीमती झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में इनके द्वारा कोई नया तथ्य/अभिलेख नहीं दिये गये है तथा उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है, जो बचाव बयान के दौरान समर्पित किये गये थे एवं जिन पर पूर्व में विचार किया जा चुका है।

अतः, इनके द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए इन पर पूर्व प्रस्तावित दण्ड को यथावत् रखते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(VI) के तहत् तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 256--50